**Title:** Urged upon the Government to take steps to change the settlement and other acts in relation to the problems faced by the five districts of Madhya Pradesh which are now included as parts of Maharashtra.

**श्रीमती प्रभा राव (वर्धा) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका, इस सदन का और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। आप जानते हैं, विदर्भ का एक हिस्सा पहले मध्य प्रदेश में था और वह हिस्सा मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में आया । इस संबंध में जो कानून बदले जाने थे, वे कानून बदले नहीं गए। इन कानूनों में रेवेन्यु डिपार्टमेंट का कानून बहुत ही अहम है। रिकार्ड आफ राइट - इसको महाराष्ट्र में निस्तार पत्र कहते हैं। आजतक 1912 से 1970 के सैटलमेंट के कानून लगे हैं, बीच में सब कानून बदले गए, लेकिन इन पांच जिलों के कानून नहीं बदले गए। इनके संबंध में रिसैटलमेंट सर्वे नहीं हुआ है और ये पांच जिले सफर कर रहे हैं। भाषा के आधार पर प्रान्त रचना होने के बाद कानून नहीं बदले गए हैं। इन पांच जिलों पर न महाराष्ट्र का कानून लागू होता है और न मध्य प्रदेश का कानून लागू होता है। 1980 में जो फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट बना था, वह कानून इन जिलों पर लगा। गांव में, शहर में जहां पर भी जमीनें हैं, उनको ये जंगल बोलते हैं। वहां जंगल नहीं है, इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, प्ले-ग्राउन्ड्स हैं, अन्य चीजें हैं, उस क्षेत्र के लिए नाम बदलने का कानून बनाना है। यह काम सैन्ट्रल गवर्मेंट से फारेस्ट डिपार्टमेंट से होना जरूरी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि वह इस ओर ध्यान दें और कानून बदलने की दिशा में कदम उठाए।